रजिस्ट्री सं० डी—(डी)—73 REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7, 1981 (कार्तिक 16, 1903)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7, 1981 (KARTIKA 16, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it May be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 3

[PART III—SECTION 3]

लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Minor Administrations]

वाणिज्य मंत्रालय

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय

बम्बई-400020, दिनांक 20 जुलाई 1981

आदेश

सं० 32 (3-ए)/विज०/81—सर्वश्री मुरलीधर संस, 7, स्मिता निवास, डैडी, सन्तोक लेन, चीरा बाजार, बम्बई-400002 को संलग्न सूची में या आयात लाइसेंसों में दर्शाई गई मदों के आयात के लिए निम्नलिखित आयात लाइसेंस जारी किए गए थे :—

क्रम सं०	लाइसेंस सं० और दिनांक	कीमत रु० में
1	2	3
1.	पी०/डब्ल्यू०/2925156 19-3-80	10,37,418/-
2.	पी०/डब्ल्यू०/2925179 20-3-80	3,89,925/-
3.	पी०/डब्ल्यू०/2926615 14-4-80	4,72,724/-
4.	पी०/डब्ल्यू०/2927775 29-4-80	22,23,955/-
5.	पी०/डब्ल्यू०/2928837 19-5-80	3,44,053/-
6.	पी०/डब्ल्यू०/0371721 28-5-80	16,72,792/-
7.	पी०/डब्ल्यू०/0372395 5-6-80	5,50,500/-
8.	पी०/डब्ल्यू०/0375256 21-7-80	11,27,086/-
9.	पी०/डब्ल्यू०/0376217 19-8-80	10,08,484/-
10.	पी०/डब्ल्यू०/0379783 31-10-80	16,82,892/-

1	2	3
11.	पी०/डब्ल्यू०/0379784 31-10-80	7,09,449/-
12.	पी०/डब्ल्यू०/0381189 1-12-80	23,31,482/-
13.	पी०/डब्ल्यू०/0382506 18-12-80	3,01,750/-
14.	पी०/डब्ल्यू०/0383060 23-12-80	11,48,491/-
15.	पी०/डब्ल्यू०/0383836 2-1-81	4,74,604/-
16.	पी०/डब्ल्यू०/0385499 23-1-81	4,72,081/-
17.	पी०/डब्ल्यू०/0387904 2-3-81	7,35,313/-
18.	पी०/डब्ल्यू०/0388662 9-3-81	14,94,513/-
19.	पी०/डब्ल्यू०/0447003 24-3-81	5,93,107/-
20.	पी०/डब्ल्यू०/0449760 7-5-81	16,06,142/-
21.	पी०/डब्ल्यू०/2914217 4-9-79	68,79,432/-
22.	पी०/डब्ल्यू०/0382425 19-12-80	1,38,26,023/-
23.	पी०/डब्ल्यू०/0388710 9-3-81	93,26,417/-

2. इसके बाद एक कारण बताओ नोटिस सं० 32 (3-ए)/सतर्कता/81-334 दिनांक 2-7-81 यह पूछते हुए जारी किया गया कि वे 15 दिनों के अन्दर कारण बताएं कि अद्यतन यथा संशोधित आयात (नियंत्रण), आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (क) और 9 (गग) के अधीन उनके नाम में जारी किए गए लाइसेंसों को इस आधार पर क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उक्त लाइसेंस, मदों और निर्यात उत्पादों के संबंध में मिथ्या निरुपण और जाल साजी से प्राप्त किए थे और इसलिए भी कि लाइसेंस इस उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे जिसके लिए वे जारी किए गए थे।

3. उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में सर्वश्री मुरलीधर संस, बम्बई ने न तो कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और न ही 13-7-81 को अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रस्तुत ही हुए। लेकिन, श्री जी० जे० बिजलानी, वकील ने एक पत्र दिनांक 13-7-81 भेजा जिसमें उन्होंने अपने मुवक्किल के आदेशानुसार सूचित किया है कि (1) घोषणा पत्र की प्रतियां उन्हें दी जाएं या निरीक्षण के लिए उपलब्ध कार्रवाई की जाए (2) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनके मुवक्किल के कार्यालय से निर्यात दस्तावेज जब्त कर लिए हैं जिनके अभाव में उनका मुवक्किल कारण बताओ नोटिस का जवाब तैयार करने में असमर्थ रहा और (3) श्री सी० एम० चंदवानी जो कि फर्म के अकेले स्वामी हैं उन्हें 9 जुलाई, 1981 को दिल का दौरा पड़ा था। इसलिए, श्री बिजलानी ने 3 सप्ताह के बाद सुनवाई की नई तिथि के लिए निवेदन किया है और यह भी निवेदन किया है कि जब तक मांगे गए दस्तावेज उन्हें दे नहीं दिए जाते तब तक व्यक्तिगत सुनवाई को स्थगित कर दें और कारण बताओ नोटिस के जवाब की समय अवधि बढ़ा दें।

4. अधोहस्ताक्षरी ने श्री जी० जे० बिजलानी के वकील के पत्र दिनांक 13-7-81 की सावधानीपूर्वक जांच की है। जहां तक सीमा शुल्क घोषणा पत्रों को देने का संबंध है। सूचित किया जाता है कि सर्वश्री मुरलीधर के पास उनके द्वारा दावा किए गए घोषणा पत्रों की प्रतियां होनी चाहिए और सी० बी० आई० ने भी उनसे सीमा शुल्क दस्तावेज नहीं छीने हैं। जहां तक सी० बी० आई० द्वारा 26 जून, 1981 को निर्यात दस्तावेज छीने जाने का संबंध है, उन निर्यात दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए मांग सकते हैं। जो उन्होंने इस कार्यालय को क्रमशः लाइसेंस/नकद आवेदन पत्रों के साथ प्रस्तुत किए हैं। जहां तक व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नई तिथि तय करने का संबंध है वे यदि श्री सी० एम० चन्दवानी, मालिक, उपस्थित होने की स्थिति में नहीं थे तो उन्हें अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए था। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नई तिथि तय करने के लिए और उक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब के लिए समय अवधि बढ़ाने के लिए मैं कोई कारण नहीं पाता हूं।

5. पिछली कंडिका में जो कुछ भी कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस को आदितः रद्द कर दिया जाना चाहिए या अप्रभावी कर दिया जाना चाहिए। अतः अधोहस्ताक्षरी अद्यतन यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 की धारा 9 (क) और 9(गग) में प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सर्वश्री मुरलीधर संस, बम्बई को जारी किए गए लाइसेंसों को आदितः रद्द करता है।

6. यदि वे उपर्युक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो वे समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय, आयात व्यापार नियंत्रण अधिसूचना सं० 12/66 दिनांक 10-11-66 और अंतिम संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० 17/76 दिनांक 20-8-76 में विनिर्दिष्टानुसार आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की कंडिका 10(2) के अन्तर्गत राजस्व प्राधिकारी अर्थात् अपर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को अपील कर सकते हैं। 1981-82 की

आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक की कंडिका 265 में अपील दखिल करने की क्रियाविधि दर्शाई है।

जी० आर० नायर
उप-मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात

सर्वश्री मुरलीधर सस
7, स्मिता निवास, डैडी सन्तोक लेन
चीरा बाजार, बम्बई—400004

बम्बई-400020, दिनांक 21 जुलाई 1981

आदेश

सं० 32(3-ए)/विज०/81—सर्वश्री भारत एक्सपोर्ट्स, 7, स्मिता निवास, डैडी सन्तोक लेन, चीरा बाजार, बम्बई-400002 को संलग्न सूची में या आयात लाइसेंसों में दर्शाई गई मदों के आयात के लिए निम्नलिखित आयात लाइसेंस जारी किए गए थे।

क्रम सं०	लाइसेंस सं० और दिनांक	कीमत रु० में
1	2	3
1.	पी०/के०/2925187 20-3-80	3,54,478/-
2.	पी०/के०/29,25,775 27-3-80	2,36,318/-
3.	पी०/के०/2928010 5-5-80	3,54,499/-
4.	पी०/के०/2928838 19-5-80	8,30,557/-
5.	पी०/के०/2928839 19-5-80	23,13,603/-
6.	पी०/के०/0371693 26-5-80	1,77,271/-
7.	पी०/के०/0372394 5-6-80	5,98,304/-
8.	पी०/के०/0375278 23-7-80	1,77,976/-
9.	पी०/के०/0375515 1-8-80	3,20,328/-
10.	पी०/के०/0376202 18-8-80	4,74,604/-
11.	पी०/के०/0378220 22-9-80	13,28,862/-
12.	पी०/के०/0380053 11-11-80	4,50,686/-
13.	पी०/के०/0381201 1-12-80	7,11,906/-
14.	पी०/के०/0382523 18-12-80	4,76,830/-
15.	पी०/के०/0383236 26-12-80	11,12,538/-
16.	पी०/के०/0385544 28-1-81	13,33,166/-
17.	पी०/के०/0386446 9-2-81	59,325/-
18.	पी०/के०/0387148 16-2-81	8,72,961/-
19.	पी०/के०/0388650 9-3-81	3,20,229/-
20.	पी०के०/0447670 15-4-81	22,01,501/-
21.	पी०/के०/0449726 4-5-81	1,18,626/-

2. इसके बाद एक कारण बताओ नोटिस सं० 32(3)/सतर्कता/81/270 दिनांक 15-6-81 यह पूछते हुए जारी किया गया था कि 15 दिन के अन्दर कारण बताएं कि अद्यतन यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9(क) और 9(गग) के अधीन उनके नाम में जारी किए गए लाइसेंसों को इस आधार पर रद्द क्यों न कर दिया जाए क्योंकि उक्त लाइसेंस, मदों और निर्यात उत्पादों के संबंध में मिथ्या निरूपण और जालसाजी से प्राप्त किए थे और इसलिए भी कि लाइसेंस इस उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे जिसके लिए उन्हें जारी किया गया था।

3. उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में सर्वश्री भारत एक्सपोर्ट्स, बम्बई ने अपने नाम से अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख 24-6-80 को 2.30 बजे प्रस्तुत होने के लिए श्री जी० जे० बिजलानी को प्राधिकृत किया और उसके जरिये पत्र सं० बी० ई० सी०, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात 32(3)/सतर्कता/81/270 दिनांक 23-6-81 भी भेजा। श्री जी० जे० बिजलानी की बातें सुनने और उपर्युक्त पत्र पढ़ने के बाद अधोहस्ताक्षरी ने देखिए पत्र सं० 32 (3-क) सतर्कता/81/333 दिनांक 2-7-81, 15-6-81 के कारण बताओ नोटिस के पैरा 2 को नये पैरा से बदल दिया जैसा कि उपर्युक्त पत्र दिनांक 2-7-81 में दिया गया है। देखिए उक्त पत्र दिनांक 2-7-81। अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का एक अन्य अवसर दिया जिससे वे 13-7-81 को 2.30 बजे उपस्थित हो सकें। कारण बताओ नोटिस

दिनांक 15-6-81 का जवाब दिए जाने की समय अवधि भी 15 दिन तक बढ़ा दी गई थी।

4. उपर्युक्त उक्त पत्र दिनांक 2-7-81 द्वारा यथा संशोधित उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 15-6-81 के उत्तर में सर्वश्री भारत एक्सपोर्ट्स, बम्बई ने न तो कोई जवाब दिया और न ही वे 13-7-81 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुए। लेकिन श्री जी० जे० बिजलानी ने दिनांक 13-7-81 का एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि जैसा कि उसके मुवक्किल ने अनुदेश दिया है (1) घोषणा की प्रतियां उन्हें दी जाएं या निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएं (2) उसके मुवक्किल के कार्यालय से सी० बी० आई० ने निर्यात दस्तावेज जब्त कर लिए हैं जिससे उनके मुवक्किल को कारण बताओ नोटिस का जवाब तयार करने में बहुत रुकावट आई है और (3) श्री सी० एम० चन्दवानी जो कि उक्त फर्म के प्रबंधक साझीदार हैं को 9-7-81 को दिल का दौरा पड़ा। इसलिए श्री बिजलानी ने तीन सप्ताह के बाद सुनवाई की नई तिथि के लिए निवेदन किया है और यह भी निवेदन किया है कि जब तक उन्हें मांगे गए दस्तावेज नहीं दे दिए जाते तब तक व्यक्तिगत सुनवाई स्थगित कर दी जाए और कारण बताओ नोटिस के जवाब के लिए समय अवधि बढ़ा दी जाए।

5. अधोहस्ताक्षरी ने श्री जी० जे० बिजलानी के पत्र दिनांक 13-7-81 की सावधानीपूर्वक जांच की है। जहां तक सीमाशुल्क घोषणाओं का संबंध है यह सूचित किया जाता है कि सर्वश्री भारत एक्सपोर्ट्स द्वारा दाखिल प्रतियां उनके पास होनी चाहिए और सी० बी० आई० ने उनसे सीमाशुल्क घोषणा जब्त नहीं की है। जहां तक 26 जून, 1981 को सी० बी० आई० द्वारा निर्यात दस्तावेजों के छीन जाने का संबंध है वे उन निर्यात दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए मांग सकते हैं जो उन्होंने इस कार्यालय को संबंधित लाइसेंस/कैश आवेदन पत्रों के साथ दिए हैं। जहां तक व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नई तिथि तय करने का संबंध है यदि श्री सी० एम० चन्द्रवानी साझीदार स्वयं उपस्थित होने की स्थिति में नहीं थे तो वे अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते थे। इन सब बातों को देखते हुए व्यक्तिगत सुनवाई के लि नई तिथि तय करने और उक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब के लिए समय अवधि बढ़ाने में कोई कारण नजर नहीं आता है।

6. पिछली कंडिका में जो कुछ भी कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस को आदित रद्द कर दिया जाना चाहिए या अप्रभावी कर दिया जाना चाहिए। अतः अधोहस्ताक्षरी अद्यतन तथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 की धारा 9 (क) और 9 (गग) में प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सर्वश्री भारत एक्सपोर्ट्स, बम्बई को जारी किए गए लाइसेंसों को आदितः रद्द करता है।

6. यदि वे उपर्युक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो वे समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय, आयात व्यापार नियंत्रण अधिसूचना सं० 12/66 दिनांक 10-11-66 और अंतिम संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० 17/76 दिनांक 20-8-76 में विनिर्दिष्टानुसार आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की कंडिका 10(2) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को अपील कर सकते हैं। 1981-82 की आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक की कंडिका 265 में अपील दाखिल करने की क्रिया विधि दर्शाई गई है।

जी० आर० नायर,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

सर्वश्री भारत एक्सपोर्ट्स,
7, स्मिता निवास, डडी सन्तोक लेन,
चीरा बाजार,
बम्बई-400002

नई दिल्ली-110002, दिनांक 30 मई 1981

निरस्त-आदेश

सं० एडवांस/ला०/194/ए० एम-81/870—मैसर्स जे० बी० इन्टरनेशनल एण्ड कं० डब्ल्यू०-98 ग्रेटर कैलास I नई दिल्ली को एक अग्रिम आयात लाइसेंस सं० पी०/एल०/2941456 दि० 9-4-81 तथा डी० ई० ई० सी० सं० 001990 (बौम) दि० 2-5-81 वास्ते 3556008/-रु० 343.4 मी० टन ब्रास स्क्रेप के आयात के लिए दिया गया था। इस फर्म ने यह सूचित किया है कि उक्त लाइसेंस की कस्टम तथा डी० ई० ई० सी० कापी बिना इस्तेमाल किए तथा बिना किसी कस्टम पर पंजीकृत किए ही खो गई है।

2. उक्त फर्म ने अपने इस कथन के समर्थन में अब एक शपथ-पत्र आयात-निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि-पुस्तिका 1981-82 के पैरा 352-354 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। अतः मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त आयात लाइसेंस की मूल कस्टम हेतु कापी तथा डी० ई० ई० सी० कापी खो गई है।

3. अतः आयात-व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दि० 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9(सी० सी०) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस की मूल कस्टम कापी तथा डी० ई० ई० सी० को निरस्त करने का आदेश देता हूं।

4. आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्यविधि-पुस्तिका 1981-82 के पैरा 352-354 अनुसार उपरोक्त लाइसेंस की कस्टम कापी तथा डी० ई० ई० सी०

की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी), जारी करने पर विचार किया जायेगा ।

एस० बाला कृष्णा पिल्लई
उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

सेवा में,

मैसर्स जे० बी० इन्टरनेशनल एण्ड कं०
डब्ल्यू० 98 ग्रेटर कैलाश-I
नई-दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित की जाती है :—

(1) सभी कस्टम अधिकारी
(2) अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारी ।

नई दिल्ली-110002, दिनांक 30 मई 1981

निरस्त–आदेश

सं० एडवांस/ला०/201/ए० एम-81/ई० पी० VI/सी० एफ/ए०—मैसर्स जे० बी० इन्टरनेशनल एण्ड० कं० डब्ल्यू०-98 ग्रेटर-कैलाश-I नई दिल्ली को एक अग्रिम आयात लाइसेंस सं० पी०/एल०/2941459 दि० 9-4-1981 तथा डी० सी० सी० सं० 01991 (बीम) दि० 2-5-81 वास्ते 756100/- रु० 792 मी० टन आइरन स्क्रेप के आयात के लिए दिया गया था । इस फर्म ने यह सूचित किया था कि उक्त लाइसेंस की कस्टम तथा डी० ई० ई० सी० की कापियां बिना किसी कस्टम पर पंजीकृत किए तथा बिना इस्तेमाल किए ही खो गई है ।

2. उक्त फर्म ने अपने इस कथन के समर्थन में अब एक शपथ-पत्र आयात-निर्यात सम्बन्धी कार्य-विधि पुस्तिका 1981-82 के परा 352-354 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। अतः मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल कस्टम हेतु कापी तथा डी० ई० ई० सी० की कापी खो गई है।

3. अतः आयात-व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दि० 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9 (सी सी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस की मूल कस्टम कापी तथा डी० ई० ई० सी० को निरस्त करने का आदेश देता हूं।

4. आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्य विधि-पुस्तिका 1981-82 के पैरा 352-354 के अनुसार उपरोक्त लाइसेंस की कस्टम कापी तथा डी० ई० ई० सी० की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जायेगा ।

एस० बालाकृष्णा पिल्लई,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

सेवा में

मैसर्स जे० बी० इन्टरनेशनल एण्ड कं०
डब्ल्यू०-98 ग्रेटर कैलाश-I
नई—दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित क. जाती है :—

(1) सभी कस्टम अधिकारी
(2) अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारी ।

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

Bombay-400020, the 20th July 1981

ORDER

No. 32(3-A)Vig./81.—The following import licences for mpprt of items shown therein or in the list attached thereto were issued in favour of M/s Murlidhar Sons, 7, Smeeta Niwas, Dady Santok-Lane, Checra Bazar, Bombay-400002 :—

S. No.	Licence No. and date	Value in Rs.
1	2	3
1.	P/W/2925156 / 19-3-80	10,37,418/-
2.	P/W/2925179 / 20-3-80	3,89,925/-
3.	P/W/2926615 / 14-4-80	4,72,724/-
4.	P/W/2927775 / 29-4-80	22,23,955/-
5.	P/W/2928837 / 19-5-80	3,44,053/-
6.	P/W/03717221 / 28-5-80	16,72,792/-
7.	P/W/0372395 / 5-6-80	5,50,500/-
8.	P/W/0375256 / 21-7-80	11,27,088/-
9.	P/W/0376217 / 19-8-80	10,08,848/-
10.	P/W/037983 / 31-10-80	16,82,892/-
11.	P/W/0379784 / 31-10-80	7,09,449/-
12.	P/W/0381189 / 1-12-80	23,31,482/-
13.	P/W/0382506 / 18-12-80	3,01,750/-
14.	P/W/0383060 / 23-12-80	11 48,491/

1	2	3
15.	P/W/0383836 2-1-81	4,74,604/-
16.	P/W/0385499 23-1-81	4,72,081/-
17.	P/W/0387904 2-3-81	7,35,313/-
18.	P/W/0388662 9-3-81	14,94,513/-
19.	P/W/0447003 24-3-81	5,93,107/-
20.	P/W/0449760 7-5-81	16,06,142/-
21.	P/W/2914217 4-9-79	68,79,432/-
22.	P/W/0382425 19-12-80	1,38,260,23/-
23.	P/W/0388710 9-3-81	93,26,417/-

2. Thereafter, a show cause notice No. 32(3-A)/Vig./81/334 dated 2-7-81 was issued asking them to show cause within 15 days as to why the said licences should not be cancelled under clause 9(a) and 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, on the ground that the said licences were obtained by them by misrepresentation and fraud in regard to the items and values of the export products and also for the reasons that the same will not serve the purpose for which the licences in question were granted.

3. In response to the aforesaid show cause notice, M/s. Murlidhar Sons, Bombay did not submit any representation nor did they appear before the undersigned on 13-7-81 for the personal hearing. However, Shri G. J. Bijlani, Advocate sent a letter dated 13-7-81 wherein he has mentioned that as instructed by his clients, (i) copies of the declarations be supplied to them or made available for inspection; (ii) Central Bureau of Investigation has seized from his clients office export documents which greatly handicap his clients in preparing the reply to the show cause notice and (iii) Shri C. M. Chandwani, who is the sole proprietor of the said firm had a further heart attack on 9th July, 1981. Shri Bijlani has, therefore, requested to give a fresh date of hearing after 3 weeks and has also requested to adjourn the personal hearing until the documents sought for are supplied to them and to extend time for reply to the show cause notice.

4. The undersigned has carefully examined the letter dated 13-7-81 from Shri G. J. Bijlani, Advocate. As regards supply of copies of the Customs declarations, it may be mentioned that M/s Murlidhar Sons are expected to have with them copies of the declarations filed by them and CBI has also not seized the customs declarations from their possession. As regards export documents which are reported to be seized by CBI on 26th June, 1981, they might have asked for inspection of the export documents which have been submitted by them along with the respective licence/cash applications to this office. As regards fixing a fresh date for personal hearing, they might have deputed their representative if Shri C. M. Chandwani, the proprietor, was not in a position to appear. In view of this, I do not find any reason for giving fresh date for personal hearing and for extending time for reply to the said show cause notice.

5. Having regard to what has been stated in the preceding paragraph, the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective ab-initio. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under Clause 9(a) and 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the said licences ab-initio, issued in favour of M/s Murlidhar Sons, Bombay.

6. In case they are not satisfied with the above decision, they may file an appeal under Clause 10(2) of the Imports (Control) Order, 1955, as amended, to the competent authority i.e. Additional Chief Controller of Imports and Exports, Udyog Bhavan, New Delhi as specified in Government of India, Ministry of Commerce Import Trade Control Notification No. 12/66 dated 10-11-66, as amended from time to time and as last amended vide Ministry of Commerce Notification No. 17/76 dated 20-8-76 within 45 days from the date of order. Paragraph 265 of the Hand Book of Import-Export Procedures for 1981-82 lays down the procedure for filing an appeal.

G. R. NAIR
Dy. Chief Contoller of Imports & Exports

M/s. Murlidhar Sons,
7, Smeeta Niwas, Bady Santok Lane,
Cheera Bazar, Bombay-400 002.

Bombay-400 020, the 21st July 1981

ORDER

No. 32(3-A)/Vig./81.—The following import licences for import of items shown therein or in the list attached hereto were issued in favour of M/s. Bharat Exports, 7, Smeeta Niwas, Dady Santok Lane, Cheera Bazar, Bombay-400 002.

S. No.	Licence No. & date	Value in Rs.
1.	P/K/2925187 20-3-80	3,54,478/-
2.	P/K/2925775 27-3-80	2,36,318/-
3.	P/K/2928010 5-5-80	3,54,499/-
4.	P/K/2928838 19-5-80	8,30,557/-
5.	P/K/2928839 19-5-80	23,13,603/-
6.	P/K/0371693 26-5-80	1,77,271/-
7.	P/K/0372394 5-6-80	6,98,304/-
8.	P/K/0375278 23-7-80	1,77,976/-
9.	P/K/0375515 1-8-80	3,20,328/-
10.	P/K/0376202 18-8-80	4,74,604/-
11.	P/K/0378220 22-9-80	13,28,862/-
12.	P/K/0380053 11-11-80	4,50,686/-
13.	P/K/0381201 1-12-80	7,11,906/-
14.	P/K/0382523 18-12-80	4,76,830/-
15.	P/K/0383236 26-12-80	11,12,538/-

S. No.	Licence No. and date	Value in Rs.
16.	P/K/0385544 28-1-81	13,33,166/-
17.	P/K/0386446 9-2-81	59,325/-
18.	P/K/0387148 16-2-81	8,72,961/-
19.	P/K/0388650 9-3-81	3,20,229/-
20.	P/K/0447670 15-4-81	22,01,501/-
21.	P/K/0449726 4-5-81	1,18,626/-

2. Thereafter, a show cause notice No. 32(3)/Vig./81/270 dated 15-6-81 was issued asking them to show cause within 15 days as to why the said licences should not be cancelled under Clause 9(a) and 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955, as amended, on the ground that the said licence were obtained by them by mis-representation and fraud in regard to items and values of the export products and also for the reasons that the same will not serve the purpose for which the licences in question were granted.

3. In response to the aforesaid show cause notice M/s. Bharat Exports, Bombay authorised Shri G. J. Bijlani to appear on their behalf before the undersigned on 24-6-81 at 2.30 p.m. and also sent a letter No. BE:C:JCC&E:32(3)/81/270 dated 23-6-81 through him. On hearing Shri G. J. Bijlani and after going through the above said letter the undersigned vide letter No. 32(3-A)/Vig/81/333 dated 2-7-81 replaced para 2 of the show cause notice dated 15-6-81 vide a fresh para as given in the above said letter dated 2-7-81. Vide above said letter dated 2-7-81 the undersigned also gave another opportunity to them for personal hearing so as to be availed on 13-7-81 at 2.30 p.m. The period of giving reply to the show cause notice dated 15-6-81 was also extended by 15 days.

4. In response to the said show cause notice dated 15-6-81 as amended vide abovesaid letter dated 2-7-81 M/s. Bharat Exports, Bombay did not submit any representation nor did they appear before the undersigned on 13-7-81 for the personal hearing. However, Shri G. J. Bijlani sent a letter dated 13-7-81 wherein he has mentioned that as instructed by his clients, (i) copies of the declarations be supplied to them or made available for inspection; (ii) CBI has seized from his clients' office export documents which greatly handicap his clients in preparing the reply to the show cause notice; and (iii) Shri C. M. Chandwani, who is the Managing Partner of the said firm had a further heart attack on 9-7-81. Shri Bijlani has therefore requested to give a fresh date of hearing after 3 weeks and has also requested to adjourn the personal hearing until the documents sought for are supplied to them and to extend time for reply to the show cause notice.

5 The undersigned has carefully examined the letter dated 13-7-81 from Shri G. J. Bijlani, Advocate. As regards supply of copies of the Customs declarations it may be mentioned that M/s. Bharat Exports are expected to have with them copies of the declarations filed by them and CBI has not seized the customs declarations from their possession. As regards export documents which are reported to be seized by CBI on 26th June, 1981, they might have asked for inspection of the export documents which have been submitted by them along with the respective licence/cash applications to this office. As regards fixing a fresh date for personal hearing, they might have deputed their representative if Shri C. M. Chandwani, the Partner was not in a position to appear. In view of this, I do not find any reason for giving fresh date for personal hearing and for extending time for reply to the said show cause notice.

6. Having regard to what has been stated in the preceding paragraph, the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective ab-initio. Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in him under Clause 9(a) and 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the said licences ab-initio, issued in favour of M/s. Bharat Exports, Bombay.

7. In case they are not satisfied with the above decision, they may file an appeal under Clause 10(2) of the Imports (Control) Order 1955, as amended, to the competent authority i.e. Additional Chief Controller of Imports and Exports, Udyog Bhavan, New Delhi as specified in Government of India, Ministry of Commerce Import Trade Control Notification No. 12/66 dated 10-11-66, as amended from time to time and as last amended vide Ministry of Commerce Notification No. 17/76 dated 20-8-76 within 45 days from the date of order. Paragraph 265 of the Hand Book of Import-Export Procedures for 1981-82 lays down the procedure for filing an appeal.

G. R. NAIR,
Deputy Chief Controller of Imports & Exports.

M/s. Bharat Exports,
7, Smeeta Niwas Dady Santok Lane,
Cheera Bazar, Bombay-400 002.

New Delhi, the 30th May 1981

CANCELLATION ORDER

No. ADV/LIC/194/AM.81/EP.VI/CLA/870.—M/s. Jay Bee International & Co., W-98, Greater Kailash I, New Delhi were granted advance licence No. P/L/2941456, dated 9-4-81 and DEEC No. 001990(Bom) dated 2-5-81 for Rs. 35,56,008/- for the import of 343.4 M.T. of Brass Scrap. The firm have reported that Custom purpose copy of the same alongwith DEEC has been lost/misplaced without having been registered with the custom authority and utilised at all.

2. The applicant firm has filed an affidavit in support of the above statement as required under paras 352-354 of Hand Book of Import Export Procedure 1981-82. I am satisfied that the Original Custom Purpose copy of the said licence and DEEC has been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under Section 9(cc) of Import Trade Control Order, 1955 dated 7.12.55 as amended. I order the cancellation of the said original Custom Copy of the said licence and DEEC.

4. The applicants case will now be considered for the issue of Duplicate licence/(Custom Copy) and DEEC in accordance with paras 352-354 of Hand Book of Rules & Procedure, 1981-82.

S. BALAKRISHNA PILLAI,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Jt. Chief Controller of Imports and Exports.

To

M/s. Jay Bee International & Co.,
W-98, Greater Kailash I,
NEW DELHI.

New Delhi, the 30th May 1981

CANCELLATION ORDER

No. ADV/LIC/201/AM.81/EP.VI/CLA/818.—M/s. Jay Bee International & Co., W-98, Greater Kailash I, New Delhi were granted advance licence No. P/L/2941459 dated 9-4-81 and DEEC No. 0019901(Bom) dated 2-5-81 for Rs. 756100/- for the import of 792. M.T. of Iron Scrap. The firm have reported that Customs purposes copy of the same alongwith DEEC has been lost/misplaced without having been regisered with the custom authorities and utilised at all.

2. The applicant firm has filed an affidavit in support of the above statement as required under paras 352-354 of Hand Book of Import Export Procedure 1981-82. I am satisfied that the Original Custom Purpose copy of the said licence and DEEC has been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under Section 9(cc) of Import Trade Control Order, 1955 dated 7.12.55 as amended. I order the cancellation of the said original Custom Copy of the said licence and DEEC.

4. The applicants case will now be considered for the issue of Duplicate licence/(Custom Copy) and DEEC in accordance with paras 352-354 of Hand Book of Rules & Procedure, 1981-82.

S. BALAKRISHNA PILLAI,

Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Jt. Chief Controller of Imports and Exports.

To

M/s. Jay Bee International & Co.,
W-98, Greater Kailash I,
NEW DELHI.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981